

आदेश संख्या गया।

अभिभावक निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने प्रथम पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता का लोक अदालत की भावना से समझौता हो गया है। इसलिए प्रार्थी विचारार्थीन प्रकरण को इसी बादला है। अतः श्रीमान के समक्ष विचारार्थीन प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज फरमान का कष्ट करें। अतः निगरानीकर्ता का लोक अदालत की भावना से समझौता हो जाने के कारण निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली फंसल ग्रामर की जाकर बाद तकमील दायित्व तदुपर हो।

18.06.2018

(Handwritten signature and date)
 8/1/18

8/1/18

(Handwritten signature and date)
 7/5/18

7/5/18

हुं 07.05.2018 को पेश हो।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जावे। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जावे एवं रिपोर्ट तलब किया जावे। पत्रावली वास्तु तलबी एवं रिपोर्ट तलबी

17.04.2018

नम्बर व तारीख	तारीख हुंम
---------------	------------



दयाराम बनारस ग्राम पंचायत 11 ब्यू व श्रीमति ककमा
 निगरानी प्रकरण संख्या 15/2018
 हुंम या कायवाही मय इनीहियल जल



फट्टे अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

2018/00088

3.2.12/2
 फायर
 ग्लाइड
 न्यू